

का० आ० 425 (अ), दिनांक 9.6.1989 (अधिकतम गति सीमा)
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे की तालिका में इसके स्तम्भ
(2) के समरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों के वर्ग के सम्बंध में अधिकतम विनिर्दिष्ट गति
अभिनिश्चित करती है।

तालिका	
वाहनों का वर्ग	प्रति घंटा किलोमीटर में अधिकतम गति
(1)	(2)
1. यदि वाहन के सभी पहियों में न्युमेटिक टायर लगे हुये हैं और वाहन एक ट्रेलर को नहीं खींच रही है :-	
(क) यदि वाहन परिवहन वाहन से अन्यथा एक हल्की मोटर वाहन है;	कोई सीमा नहीं
(ख) यदि वाहन एक हल्की मोटर वाहन और एक परिवहन वाहन है;	65
(ग) यदि वाहन एक मोटर साइकिल है;	50
(घ) यदि वाहन एक मध्यम या भारी यात्री मोटर वाहन है;	65
(ङ) यदि वाहन एक मध्यम या भारी माल वाहन है।	65
2. यदि वाहन एक अनुकूलित वाहन है, जिसके सभी पहियों में न्युमेटिक टायरें लगी हुयी हैं, जो एक भारी माल वाहन है या भारी यात्री मोटर वाहन है।	50
3. यदि वाहन एक से अनधिक ट्रेलर को नहीं खींच रही है, या सैन्य उपकरणों के मामलों में, दो से अधिक ट्रेलरों को नहीं और उस वाहन के सभी पहिये और ट्रेलर न्युमेटिक टायरों से लगे हुये हैं :-	
(क) यदि वाहन एक हल्की मोटर वाहन है और ट्रेलर दुपहिया होती हुयी 800 किग्रा० से अनधिक एक सकल भार रखती है;	60
(ख) यदि वाहन एक हल्की मोटर वाहन है और ट्रेलर दो से अधिक पहिये या 800 किग्रा० से अनधिक सकल भार रखती है;	50
(ग) यदि वाहन एक मध्यम माल वाहन या मध्यम यात्री मोटर वाहन है;	50
(घ) यदि वाहन एक भारी माल वाहन या भारी यात्री मोटर वाहन है;	40
(ङ) यदि वाहन एक भारी माल वाहन या भारी यात्री मोटर वाहन है जो अग्निशमन दल द्वारा प्रयुक्त है	50
4. प्रविष्टि (1), (2) या (3) द्वारा आवृत्त नहीं कोई अन्य मामला।	30
2. यह अधिसूचना जुलाई, 1989 के प्रथम दिवस पर प्रवृत्त होगी।	

1. भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित।

(679)

TC
16.2.16.